महत्वपूर्ण

संख्या–2234/71–2–17–158/2017

प्रेषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक 03 जुलाई, 2017

विषयः–शैक्षणिक सत्र 2017–18 हेतु एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु नीति निर्धारित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–एम0ई0–3/2017/486, दिनांक 30.06.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नीट यू0जी0, 2017 की मेरिट सूची के आधार पर स्टेट कोटा की सीटों के सापेक्ष शैक्षणिक सत्र 2017–18 में प्रदेश के राजकीय क्षेत्र के समस्त मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों/ संस्थानों एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों/ विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों/डीम्ड विश्वविद्यालयों में एम0बी0बी0एस0 एवं बी0डी0एस0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निम्नवत नीति निर्धारित करते हुए कार्यवाही किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(I) तकनीकी संस्था का नामाकंन–

शैक्षिणक सत्र 2017–18 में राजकीय क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के समस्त मेडिकल/डेण्टल कालेजों में प्रवेश हेतु नीट यू0जी0, 2017 की मेरिट सूची के आधार पर काउंसिलिंग/प्रवेश हेतु आन लाइन पंजीकरण, डाटा कैप्चर, फोटो अपलोड, शुल्क भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु National Informatics Center (एन0आई0सी0) को तकनीकी संस्था के रूप में नामित किया जायेगा। तकनीकी संस्था द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 की देख–रेख में सी0बी0एस0ई0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी मेरिट सूची के आधार पर श्रेणीवार (सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) राज्य मेरिट सूची तैयार की जायेगी।

(II) विवरण पुस्तिका (ब्रोशर) –

महानिदेशक, चि0शि0 द्वारा एक समिति गठित कर अपनी देख–रेख पर शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों/नीति के अनुपालन में नीट यू0जी0–2017 हेतु एक विवरण पुस्तिका (ब्रोशर) तैयार किया जायेगा, जिसमें आवश्यक समस्त

निर्धारित प्रारूप–पत्रों को संलग्नक के रूप में प्रदर्शित किया जायेगा। महानिदेशक, चि0शि0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ब्रोशर में प्रकाशित समस्त सूचनाएं/तथ्य एवं निर्धारित प्रारूप शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों/निर्देशों के अनुसार हो।

(III) <u>राजकीय क्षेत्र हेतु अर्हताएं **(Eligibility)-**</u>

प्रदेश के राजकीय क्षेत्र के समस्त मेडिकल कालेजों/ विश्वविद्यालय/संस्थानों में प्रवेश हेतु निम्नलिखित अर्हताएं आवश्यक है:–

1. नीट 2017 की मेरिट सूची में अर्ह अभ्यर्थी, जिन्होनें निर्धारित आन–लाइन प्रकिया के माध्यम से एन0आई0सी0 की वेबसाइट पर पंजीकरण कराया हो।
2. ऐसे अभ्यर्थियों, जिन्होनें हाईस्कूल एवं इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों परीक्षाएं उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो,
3. ऐसे अभ्यर्थियों, जिन्होने हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा में से एक परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो। उक्त अभ्यर्थियों द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत ''सामान्य निवास प्रमाण पत्र'' प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
4. ऐसे अभ्यर्थियों, जिन्होने हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट दोनों परीक्षाएं उ0प्र0 से उत्तीर्ण न की हो तथा वे उ0प्र0 के मूल निवासी हो। उक्त अभ्यर्थियों द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत ''मूल निवास प्रमाण पत्र'' प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

(IV) <u>निजी क्षेत्र हेतु अर्हताएं **(Eligibility)**</u>

1. नीट 2017 की मेरिट सूची में अर्ह अभ्यर्थी, जिन्होनें निर्धारित आन–लाइन प्रकिया के माध्यम से एन0आई0सी0 की वेबसाइट पर पंजीकरण कराया हो।
2. निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज/डेण्टल कालेज, अल्पसंख्यक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों की सीटों पर प्रवेश हेतु उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना या हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं होगा।

(V) <u>शैक्षिक अर्हता–</u>

अभ्यर्थी को इण्टरमीडिएट विज्ञान (बायोलॉजी/जैव प्रौद्योगिकी ग्रुप) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। एम0बी0बी0एस0 पाठ्यकमों में प्रवेश हेतु मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया के रेग्युलेशन आन ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन–1997 एवं बी0डी0एस0 पाठ्यकम में प्रवेश हेतु डेण्टल काउंसिल आफ इण्डिया के बी0डी0एस0 रेग्युलेशन कोर्स–2007 के अनुसार

अर्हकारी परीक्षा तथा नीट यू0जी0 2017 में विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित व्यवस्था निर्धारित हैः–

क0स0	श्रेणी	विषय	अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत	Neet Percentile
1	सामान्य श्रेणी	भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान / जैव प्रोद्योगिकी	50%	50
2	अनुसूचित जाति		40%	45
3	अनुसूचित जनजाति		40%	45
4	अन्य पिछड़ा वर्ग		40%	45
5	सामान्य श्रेणी (Physically Handicapped)		45%	45
6	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग(Physically Handicapped)		40%	40

उक्त के अतिरिक्त एम0सी0आई0 एवं डी0सी0आई0 के रेग्युलेशन्स के अनुसार समस्त श्रेणियों के अभ्यर्थियों द्वारा अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

(VI) काउंसिलिंग प्रकियाः–

नीट यू0जी0–2017 की मेरिट सूची के आधार पर आनलाइन पंजीकरण के पश्चात् तैयार की गयी स्टेट मेरिट सूची के अनुसार राजकीय क्षेत्र के समस्त मेडिकल कालेजों / चिकित्सा विश्वविद्यालयों / संस्थानों एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेण्टल कालेजों, विश्वविद्यालयों, अल्पसंख्यक संस्थानों, विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों, में काउंसिलिंग / प्रवेश की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा गठित काउंसिलिंग बोर्ड के माध्यम से आन–लाइन (माप–अप राउण्ड को छोड़कर) करायी जायेगी।

(VII) ऑनलाईन पंजीकरण शुल्कः–

नीट यू0जी0 2017 की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने वाले सभी अभ्यर्थियों को एन0आई0सी0 द्वारा तैयार की गई वेबसाइट पर ऑनलाईन पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। ऑनलाईन पंजीकरण हेतु समस्त छात्रों से पंजीकरण शुल्क रू0 1000 / – (रूपये एक हजार मात्र) ऑनलाईन प्रकिया के माध्यम से मात्र एक बार ही लिया जायेगा। पंजीकरण के साक्ष्य के रूप में उसका प्रिंटआउट अनुमन्य होगा।

(VIII) सिक्योरिटी मनी (धरोहर धनराशि):–

नीट यू0जी0 2017 की ऑनलाईन काउंसिलिंग के माध्यम से राजकीय मेडिकल / डेण्टल कालेजों / विश्वविद्यालयों / संस्थानों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा रू0 20,000 / –(रूपये बीस हजार मात्र) तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेण्टल कालेजों, विश्वविद्यालयों, अल्पसंख्यक संस्थानों, अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा रू0 2,00,000 / – (रूपये दो लाख मात्र) की धनराशि सिक्योरिटी मनी के रूप

में एलॉटमेन्ट लैटर डाउनलोड के पहले ऑनलाईन प्रकिया (डेबिट/केडिट कार्ड/इन्टरनेट बैंकिंग से ही) के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा।

जिन छात्रों द्वारा आवंटन के पश्चात सम्बन्धित कालेजों में प्रवेश प्राप्त कर लिया जायेगा, उनकी सिक्योरिटी धनराशि वापस कर दी जायेगी। यदि कोई अभ्यर्थी आवंटन के पश्चात पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लेता है अथवा प्रवेश लेने के पश्चात त्यागपत्र दे देता है *(नीट स्टेट कोटा की सीटों पर पुनर्आवंटन की स्थिति को छोड़कर)* तो उसे उसके द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि वापस नहीं की जायेगी।

(IX) काउंसिलिंग बोर्ड–

नीट यू0जी0, 2017 की मेरिट सूची के आधार पर तैयार की गयी स्टेट मेरिट सूची के अनुसार निम्नानुसार गठित काउंसिलिंग बोर्ड द्वारा काउंसिलिंग/प्रवेश की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगीः–

काउंसिलिंग बोर्ड में शामिल अधिकारियों के नाम/पदनाम	प्रास्थिति
महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ	अध्यक्ष
अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
राजकीय मेडिकल कालेजों के विभिन्न श्रेणी के प्रधानाचार्य/प्रोफेसर	1. डा0 गणेश कुमार, प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़। (अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि के रूप में) 2. डा0 एस0पी0सिंह, प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद। (अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में) 3. डा0 संदीप भट्टाचार्य, प्रोफेसर, फिजियोलॉजी, के0जी0एम0यू0, लखनऊ। (अनारक्षित श्रेणी के प्रतिनिधि के रूप में) 4. डा0 एम0क्यू0बेग, विभागाध्यक्ष, रेडियोथेरेपी विभाग, मेडिकल कालेज, गोरखपुर। (अल्पसंख्यक श्रेणी के प्रतिनिधि के रूप में)
महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
निजी क्षेत्र के मेडिकल/ डेण्टल एसोसिएशन द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य (प्रत्येक एसोसिएशन द्वारा नामित एक–एक प्रतिनिधि)
अल्पसंख्यक संस्थाओं– एराज मेडिकल कालेज, लखनऊ, तीर्थांकर महावीर मेडिकल कालेज, मुरादाबाद, सन्तोष मेडिकल कालेज, गाजियाबाद द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
निदेशक/राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ/उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सह–सदस्य

(X) राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजो/विश्वविद्यालयों/ संस्थान में आरक्षण–

प्रदेश के मूल निवासियों को निम्नानुसार आरक्षण अनुमन्य होगाः–

उर्ध्वाधर आरक्षण (वर्टिकल)–

1.	अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी–	21 प्रतिशत
2.	अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थी–	02 प्रतिशत
3.	अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी–	27 प्रतिशत

स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित राजकीय मेडिकल कालेज–अम्बेडकरनगर, कन्नौज, जालौन तथा सहारनपुर में उपलब्ध 85 सीटें (प्रत्येक कालेज हेतु) श्रेणीवार निम्नानुसार भरी जायेगी :–

4. अनुसूचित जाति–	62 सीट्स
5. अनुसूचित जनजाति–	05 सीट्स
6. अन्य पिछड़ा वर्ग–	11 सीट्स
7. अनारक्षित (सामान्य वर्ग)–	07 सीट्स

क्षैतिज आरक्षण–

नीट यू0जी0, 2017 में विभिन्न श्रेणी के प्रदेश के मूल निवासियों को निम्नवत् क्षैतिज (हारिजेण्टल) आरक्षण प्रदान किया जायेगाः–

1.	स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए–	02 प्रतिशत
2.	भूतपूर्व सैनिक(युद्ध में अपंग/सेवानिवृत्त/शहीद) के पुत्र/पुत्रियों के लिए–	02 प्रतिशत
3.	विकलांग अभ्यर्थियों के लिए–	03 प्रतिशत
4.	महिला अभ्यर्थियों के लिए–	20 प्रतिशत
5.	बी–ग्रेडिंग सहित सी–सर्टिफिकेट धारी एन0सी0सी0 कैडेट	01 प्रतिशत

आरक्षित श्रेणियों की सीटों के संबंध में निम्नलिखित शर्तो का पालन किया जायेगाः–

(क) काउंसिलिंग में सम्मिलित सीटों पर श्रेणी/उपश्रेणीवार नियमानुसार आरक्षण अनुमन्य किए जाने का पूर्ण दायित्व काउंसिलिंग बोर्ड का होगा।

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग/सेवा निवृत्त/शहीद) के पुत्र/पुत्रियों एवं पुत्र/पुत्री के पुत्र/पुत्रियों की श्रेणी के आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए संगत श्रेणी के अभ्यर्थी होने के संबंध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर दिये गये प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।

(ग) कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–18/1/2008– का0–2–2015, दिनांक 21.04.2015 के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) में प्राविधानित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित–पुत्र, पुत्री, पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) द्वारा निर्धारित

प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी अर्थात् जिलाधिकारी द्वारा ही आश्रित प्रमाण पत्र काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत किया जायेगा।

(घ) स्पेशल अपील संख्या–689/2015 सुरेन्द्र कुमार कावंत बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.10.2015 के परिप्रेक्ष्य में अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से उत्तर प्रदेश में विस्थापित होकर आये छात्रों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।

(ङ) रिट सी संख्या–1968 आफ 2017 ज्योति शुक्ला बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा हॉरिजाण्टल आरक्षण के संबंध में दिनांक 24.3.2017 को पारित आदेश द्वारा पूर्व में सम्पन्न की जा रही काउंसिलिंग में अपनाई जा रही हारिजण्टल आरक्षण प्रकिया पर टिप्पणी की गई है, जिसके अनुसार क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण का लाभ अभ्यर्थी की अपनी श्रेणी में उपलब्ध सीटों पर ही अनुमन्य होगा।

(च) यदि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें अवशेष रहती है तो उन्हें अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से और यदि अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीटें अवशेष रहती है तो उन्हें अनुसूचित जाति के पात्र अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

(छ) शासनादेश संख्या–22 सी0एम0/(1)/26–3–2013 दिनांक 10 जून, 2013 में उल्लिखित व्यवस्था के अन्तर्गत विमुक्त जातियों को विमुक्त जाति के रूप में कोई आरक्षण अनुमन्य नहीं है अपितु विमुक्त जाति का अभ्यर्थी, जिस श्रेणी के अन्तर्गत होगा उसे उसी श्रेणी का लाभ अनुमन्य होगा।

(XI) <u>निजी क्षेत्र हेतु आरक्षण–</u>

निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों, विश्वविद्यालयों, अल्प संख्यक विश्वविद्यालयों, अल्पसंख्यक संस्थाओं, डीम्ड विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

(XII) <u>निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों से शुल्क लिये जाने के संबंध में:–</u>

1. नीट यू0जी0 2016 तथा नीट पी0जी0 2017 में की गई व्यवस्थानुसार ही नीट यू0जी0 2017 की ऑनलाईन काउंसिलिंग/प्रवेश में निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में आवंटन/प्रवेश हेतु व्यय की जाने वाली धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु प्रति कालेज रू0 1,00,000/– (रूपये एक लाख मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट, जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 के नाम देय हो, कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 में जमा किया जायेगा।
2. निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों/विश्वविद्यालयों/ डीम्ड विश्वविद्यालयों हेतु यह अनिवार्य होगा कि वे शासन द्वारा निर्धारित शुल्क दिनांक 13.07.2017 तक अपनी बेबसाइट पर प्रदर्शित करेंगे एवं अल्पसंख्यक संस्थाएं भी अपने कालेजों हेतु निर्धारित शुल्क अपनी

वेबसाइट पर दिनांक 13.07.2017 तक प्रदर्शित करेगीं। उक्त के अतिरिक्त सम्बन्धित कालेज अपने अन्य शुल्क का विवरण भी अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगें तथा इसकी सूचना महानिदेशक, चि0शि0 एवं प्रशि0 को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

(XIII) काउंसिलिंग/प्रवेश प्रकिया–

निम्नलिखित शिड्यूल के अनुसार काउंसिलिंग/प्रवेश की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी–

क0सं0	विवरण	अवधि	दिवस
1	आन–लाईन पंजीकरण आरम्भ होने की तिथि	दिनॉक 05 जुलाई 2017 से 08 जुलाई 2017	04
2	स्टेट मेरिट सूची प्रकाशित होने की सम्भावित तिथि	दिनांक 09 जुलाई 2017	01
3	पंजीकृत अभ्यर्थियों के अभिलेखों के सत्यापन की तिथि	दिनॉक 09 जुलाई 2017 से 13 जुलाई 2017	05
4	ऑनलाईन काउंसिलिंग प्रथम चक	दिनॉक 15 जुलाई 2017 से 16 जुलाई 2017	02
5	प्रथम चक की ऑनलाईन काउंसिलिंग के परिणाम की घोषणा	दिनांक 18 जुलाई 2017	01
6	प्रथम चक की काउंसिलिंग से आवंटित छात्रों के आवंटन पत्र डाउनलोड करने की तिथि	दिनांक 18 जुलाई 2017 से 19 जुलाई 2017 तक	02
7	प्रथम चक की काउंसिलिंग से आवंटित छात्रों के प्रवेश की तिथि	दिनांक 20 जुलाई 2017 से दिनांक 22 जुलाई 2017	03
8	ऑनलाईन काउंसिलिंग द्वितीय चक	दिनांक 18 अगस्त 2017 से 19 अगस्त 2017 तक	02
9	द्वितीय चक की ऑनलाईन काउंसिलिंग के परिणाम की घोषणा	दिनांक 21 अगस्त 2017	01
10	द्वितीय चक की काउंसिलिंग से आवंटित छात्रों के आवंटन पत्र डाउनलोड करने की तिथि	दिनांक 22 अगस्त 2017 से 23 अगस्त 2017	02
11	द्वितीय चक की काउंसिलिंग से आवंटित छात्रों के प्रवेश की अन्तिम तिथि	दिनांक 23 अगस्त 2017 से दिनांक 24 अगस्त 2017	02
12	माप–अप राउण्ड आवंटन की तिथि	दिनांक 26 अगस्त 2017 से 31 अगस्त 2017 के मध्य	06
13	प्रवेश हेतु अन्तिम तिथि	दिनांक 31 अगस्त 2017	

(XIV) अभिलेखों का सत्यापन–

निम्नलिखित अभिलेखों का सत्यापन अभ्यर्थी द्वारा कराया जायेगाः–

शैक्षणिक अभिलेख–

1. हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की मार्कशीट तथा प्रमाण–पत्र।

2. सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत सामान्य या मूल निवास प्रमाण–पत्र।
3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा आरक्षण के दावे से सम्बन्धित से सम्बन्धित अभिलेख–अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों/भूतपूर्व सैनिकों/ विकलांगता सम्बन्धी प्रमाण–पत्र/एन0सी0सी0 सर्टिफिकेट। (अभ्यर्थी जिस आरक्षित श्रेणी का दावा करेगा उससे सम्बन्धित प्रमाण–पत्र उसके द्वारा सत्यापित कराया जायेगा)
4. उक्त बिन्दु–1, 2 एवं 3 में उल्लिखित अभिलेखों का सत्यापन समस्त राजकीय मेडिकल कालेजों– राजकीय मेडिकल कालेज आजमगढ़, राजकीय मेडिकल कालेज जालौन, राजकीय मेडिकल कालेज कन्नौज, राजकीय मेडिकल कालेज बांदा तथा मोती लाल नेहरू मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर,एस0एन0मेडिकल कालेज, आगरा, एल0एल0आर0एम0 मेडिकल कालेज, मेरठ, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर, एम0एल0बी0 मेडिकल कालेज, झाँसी, राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर, राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यायल लखनऊ, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा एवं डा0राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में किया जायेगा।

(XV) मॉप–अप राउण्ड–

1. द्वितीय चक की काउंसिलिंग के पश्चात राजकीय एव निजी क्षेत्र की मेडिकल/ डेण्टल कालेजों की अवशेष रिक्त सीटों को मॉप अप राउण्ड के माध्यम से आन–स्पाट काउंसिलिंग प्रकिया द्वारा भरा जायेगा। माप–अप राउण्ड से सम्बन्धित काउंसिलिंग/प्रवेश की कार्यवाही श्रुति ऑडिटोरियम, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में सम्पन्न की जाएगी।
2. प्रथम एवं द्वितीय काउंसिलिंग के माध्यम से एम0बी0बी0एस0 में आवंटन प्राप्त (प्रवेशित/आवंटन के पश्चात प्रवेश न लेने वाले /त्याग पत्र दे चुके/आवंटन पत्र डाउनलोड कर चुके) अभ्यर्थी माप–अप राउण्ड हेतु अर्ह नहीं होगें किंतु ऐसे अभ्यर्थी जिन्होनें प्रथम एवं द्वितीय काउंसिलिंग के माध्यम से बी0डी0एस0 पाठ्यकम में प्रवेश प्राप्त किया है, माप–अप राउण्ड में मात्र एम0बी0बी0एस0 पाठ्यकम में प्रवेश के लिए अर्ह होगें।
3. ऐसे अभ्यर्थी, जो प्रथम एवं द्वितीय काउंसिलिंग के माध्यम से बी0डी0एस0 पाठ्यकम में प्रवेश पा चुके है, के द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के पश्चात अपने मूल अभिलेख सम्बन्धित कालेज से प्राप्त किए जायेगें तत्पश्चात ही वे माप–अप राउण्ड के लिए अर्ह होगें।
4. माप–अप राउण्ड में सम्मिलित अभ्यर्थियों द्वारा शैक्षिणक प्रमाण–पत्रों, आरक्षण सम्बन्धी दावों, निवास प्रमाण–पत्रों तथा अन्य

सुसंगत अभिलेखों को मूलरूप से काउंसिलिंग बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

5. निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों/विश्वविद्यालयों/डीम्ड विश्वविद्यालयों में मॉप–अप राउण्ड से आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को शासन द्वारा निर्धारित शुल्क (छात्रावास शुल्क एवं जमानत की धनराशि को छोड़कर) तथा अल्पसंख्यक संस्थानों के मामले में उनके द्वारा निर्धारित शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट, जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश के नाम से लखनऊ में देय हो, काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। महानिदेशक, चि0शि0 द्वारा तत्सम्बन्धी आवंटित कालेज को डिमाण्ड ड्राफ्ट अग्रसारित किया जायेगा।

(XVI) अन्य आवश्यक निर्देश–

(1) रिट याचिका (सिविल) संख्या–267/2017 दार–उस–सलाम एजूकेशनल ट्रस्ट व अन्य बनाम मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.05.2017 के अनुपालन में निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित की जायेः–

(क) अल्पसंख्यक श्रेणी के अभ्यर्थी को अपनी श्रेणी के सम्बन्ध में साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए लिखित सहमति देनी होगी की वह सम्बन्धित अल्पसंख्यक संस्था में उनके नियमों के अनुसार प्रवेश लेने हेतु सहमत है। अल्पसख्ंयक संस्था के प्रतिनिधि द्वारा सम्बन्धित छात्र के अल्प संख्यक श्रेणी सम्बन्धी साक्ष्यों को जांचा/सत्यापित किया जायेगा।

(ख) काउंसिलिंग से पूर्व डीम्ड विश्वविद्यालयों तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों द्वारा ली जाने वाली शुल्क का उल्लेख किया जायेगा तथा छात्रों से भी तदनुसार ली जाने वाली शुल्क के सम्बन्ध में सहमति प्राप्त की जायेगी।

(ग) माप–अप राउण्ड के पश्चात यदि सीटें अवशेष रह जाती हैं तो एक सीट के सापेक्ष मेरिट के आधार पर दस अभ्यर्थियों की सूची सम्बन्धित मेडिकल कालेज को प्रवेश हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

(घ) आल इण्डिया कोटा की द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग के पश्चात प्रवेशित अभ्यर्थी काउंसिलिग में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह नहीं होगें।

(2) रिट पिटीशन सिविल संख्या–244/2017 एजूकेशन प्रमोशन सोसाइटी ऑफ इण्डिया व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.05.2017 के अनुपालन में अल्पसंख्यक संस्थाओं में अल्पसंख्यक वर्ग में आरक्षित सीटें अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थियों से ही भरी जायेंगी यदि अल्पसंख्यक वर्ग के लिए निर्धारित सीटें अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों द्वारा नही भर पाती हैं तो

मेरिट सूची के आधार पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से ऐसी अवशेष सीटें भरी जाये।

कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(डा0 अनिता भटनागर जैन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- (1)/71-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव, मेडिकल काउसिंल आफ इण्डिया/डेण्टल काउंसिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली।
2. कुलपति, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा।
3. कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0/डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
5. प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
7. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ0प्र0 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण।
8. समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय, अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय, अल्पसंख्यक संस्थान/अल्पसंख्यक डीम्ड विश्वविद्यालय, उ0प्र0 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
9. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 शासन।
10. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।